रेल भर्ती प्रकोष्ठ
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

केन्द्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2015 के अंतर्गत पे बैंड–1 + ग्रेड पे रू. 1800 (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान) के दिनांक 26.09.2017 को घोषित परिणाम के संदर्भ में।

1. उपरोक्त केन्द्रीकृत रोजगार सूचना (Special Recruitment Drive for Physically Handicapped) के ऑन–लाईन परीक्षा माह फरवरी 2016 (पॉच दिनों) को संपन्न ऑनलाईन लिखित परीक्षा में आयोजित की गई थी। ऑन–लाईन परीक्षा का परिणाम रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के website: www.rrcald.org तथा दिनांक 07.08.2016 को सामाचार पत्र में घोषित किया गया, जिसमें 445 (370 + 20 प्रतिषत अतिरिक्त) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों (OH, VH, HH) जिन्होंने उत्तर मध्य रेलवे के लिए विकल्प दिया था जिनको दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जॉच हेतु दिनांक 08.08.2016 से 17.08.2016 तक बुलाया गया था।
2. दिनांक 08.08.2016 से 17.08.2016 तक संपन्न हुए दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त कुल 160 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः अंतिम मौका देते हुए दिनांक 15.09.2016 से 16.09.2016 तक दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा जॉच हेतु बुलाया गया। जिसमें से कुल 152 अभ्यर्थी अंतिम रूप से दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित पाये गये।
3. दस्तावेज सत्यापन में कुल 293 उपस्थित विकलांग अभ्यर्थियों में से दिनांक 30.11.2016 को 172 विकलांग (OH, VH, HH) अभ्यर्थियों की अनंतिम नामिका तथा दिनांक 26.09.2019 को 18 विकलांग अभ्यर्थियों (OH, VH, HH) को अनंतिम नामिका रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के website: www.rrcald.org पर जारी किय गये थे तथा 02 विकलांग अभ्यर्थियों के मेडिकल फिटनेस बाद में प्राप्त होने पर अनंतिम नामिका जारी किया गया था।
4. अंतिम रूप से कुल 38 अभ्यर्थियों (5 अभ्यर्थियों को Biometric not verified तथा 01 Re-Biometric में अनुपस्थित के कारण, 04 अभ्यर्थियों का विकलांग प्रमाण पत्र की कोटि में असंगतता के कारण, 1 अभ्यर्थी Medical में Not Turn up के कारण, 27 अभ्यर्थियों को Medical Absent, Abscond रिपोर्ट के होने के कारण) के परिणाम निरस्त कर दिये गये थे। 59 अभ्यर्थियों को रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संबंधित विकलांग कैटेगरी/कोटि मं Unfit पाया गया। जिसके संबंध में रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत् प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों एवं अभ्यर्थियों को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। 02 अभ्यर्थियों की Medical Report Pending होने के कारण, 02 अभ्यर्थियों की विकलांगता प्रमाणपत्र सही न होने के कारण परिणाम रोक दिया गया।
5. **उपरोक्त में से 5 विकलांग अभ्यर्थियों को Biometric not verified होने के कारण दिनांक 26.09.2017 को जारी परिणाम में निरस्त कर दिया गया था परन्तु उक्त 5 में निम्नलिखित 4 विकलांग अभ्यर्थियों को जिन्हें Biometric not verified के बाद उनके दस्तावेजों की Forensic जॉच में सही पाया गया है अतः उक्त 4 विकलांग अभ्यर्थियों की अनंतिम नामिका जारी करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मंडल/यूनिट के लिए अनुशंसित की जाती है।**
6. नियुक्ति से संबंधित अन्य औपचारिकताऍ आबंटित मंडल/यूनिट के वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी/वरीय/सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा पूरा किया जायेगा। नामिकाबद्ध अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि नामिका पूर्णतः औपबंधिक है और नियुक्ति संबंधी अगली औपचारिकताओं के पूर्ण होने तक रेलवे में नियुक्ति हेतु उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नामिकाबद्ध अभ्यर्थियों की वरियता रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/उमरे/इलाहाबाद के द्वारा जारी किए गए अंतिम नामिका पर निर्भर होगी न कि किसी अभ्यर्थी विशेष की किसी विशेष वरियता इकाई में नियुक्ति की तिथि से।
7. पदों का आवंटन प्रशासनिक आवश्यकतानुसार एवं अभ्यर्थियों के फिटनेस के आधार पर किया गया है।
8. हालांकि उक्त नामिका को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी मानवीय भूल एवं टंकण भूल के कारण हुई किसी भी गलती को सुधारने का अधिकार रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे के पास सुरक्षित है।

प्रयोग में लाये गये संकेताक्षर: OH–अस्थि विकलांग, VH–दृष्टि विकलांग, HH–श्रवण विकलांग

नोटः बेईमान तत्वों के कृपया सावधान रहें और उनके बहकावे में न आएं। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जाता है।

10/2/2020

दिनांक 10.02.2020

अध्यक्ष
रेल भर्ती प्रकोष्ठ
इलाहाबाद

OH -167303010657	OH - 155003060167	OH - 126603061068	HH - 126603061195